13

ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

विविध वाद सं0–33/14–15

विजय यादव –बनाम– राज्य एवं अन्य

दिनांक	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति
	प्रस्तुत वाद आवेदक विजय यादव पिता स्व0 सुगन यादव साकिन खोडाहार थाना बरही, परगना बरसोत, जिला हजारीबाग के आवेदन पर वाद लाया गया है, जिसमें मौजा खोडाहार, अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 भूमि आवेदकगण के पिता सुगन यादव को फरद रिपोर्ट अमीन (वावत पैमाईश) सन् 1940 हो हासिल हुआ तदोपरान्त आवेदक के पिता के द्वारा भूमि पर कड़ी मेहनत मजदुरी कर खेती योग्य भूमि को बनाया तथा भूतपूर्व जमींदारी को साल दर साल मालगुजारी देकर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आये एवं उक्त भूमि का जमाबंदी पंजी–II के पृष्ट संख्या 14/4 में खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 का लगान 50.00 रूपये अंचल अधिकारी द्वारा आवेदकगण के पिता के नाम से कायम किया गया तथा रसीद संख्या 102310 दिनांक 29.12.92 तथा अंतिम रसीद संख्या 820926 दिनांक 20.01.1995 से निर्गत है, परन्तु दिनांक 22.05.2014 को यदुनंदन त्रिगुणायत साकिन मलकेरा द्वारा मौजा खोडाहार थाना बरही, थाना संख्या 56, जिला हजारीबाग के अन्तर्गत खाता संख्या नं0 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 जो आवेदकगण के लम्बे समय से चल रहे कायम जमाबंदी एवं निर्गत हो रहे रसीद को बंद करने हेतु अंचल अधिकारी, बरही को आवेदन दिया, उसके उपरान्त अंचल अधिकारी, बरही द्वारा लम्बे समय से कायम किये गये जमाबंदी को विविध वाद संख्या 3/14–15 द्वारा आदेश पारित कर रोक लगा दी गयी है, जो न्यायोचित है। आवेदकगण के पिता के नाम से लम्बे समय से कायम जमाबंदी को नियमित करते हुए, अंचल अधिकारी, बरही द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रक्रिया में दलील सुनने एवं आवेदन से संतुष्ट होते हुए वाद की प्रक्रिया शुरू की गई एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए अपना कारणपृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिस किया गया तथा उपरोक्त भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, बरही से विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कारणपृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें कहा है कि मौजा खोडाहार, अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 भूमि से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विविध वाद संख्या 03/14–15 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। अपीलकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 83 डी0 की भूमि को भू–सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्रवाई के दौरान पूर्व जमींदार का बकास्त के रूप में दर्ज किया गया था तथा प्रतिवादी के पिता ने पूर्व जमींदार से खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 81 क्षेत्रफल 0.83 एकड़ जमीन का रैयती बंदोबस्ती सतीशचंद्र त्रिगुणायत से विक्रम संवत 1997 ई. में, जो वर्ष 1940 के अनुरूप है, सुगन महतो पिता अकल महतो के द्वारा रैयती खरीद के रूप में किया तथा भूमि पर अपना	

कब्जा कर लिया। यह भी कि बंदोबस्तधारी ने पूर्व जमींदार को लगान का भुगतान किया और सुगन महतो के जमींदारी नाम के निहित होने के बाद रजिस्टर 2 में रैयत मालिक और भूमि के कब्जेदार के रूप में दर्ज हो गया। यह भी कि पूर्व भूस्वामी ने प्रतिवादी के पिता सहित अन्य व्यक्ति के पक्ष में भूमि का निपटान किया है, जिनका नाम रजिस्टर–2 में दर्ज है और भूमि का डिमान्ड उनके नाम पर चल रही है तथा अंचल अधिकारी द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में यह भी बताया कि प्रतिवादी के पिता सहित सभी बंदोबस्तधारियों का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज है तथा कटौती के बाद डिमान्ड शून्य हो गई तथा प्रश्नगत भूखंड में कोई क्षेत्रफल शेष नहीं बचा है साथ ही अंचल अधिकारी द्वारा आगे बताया गया कि प्रतिवादी विजय यादव ने प्लॉट संख्या 81 की भूमि पर इंटे खड़ी की है, जो प्रतिवादी की भौतिक स्थिति को साबित करता है। यह भी कि आपत्तिकर्ता कोई और नहीं बल्कि भूतपूर्व जमींदार का वंशज है, जो अपने अवैध लाभ के लिए यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि जिन रैयतों के पक्ष में उसके पूर्वज ने जमीन का बंदोबस्त किया है, वे उस पर कब्जा किए हुए हैं, फिर भी गलत और अवैध तरीके से अंचल अधिकारी बरही के समक्ष आवेदन दायर किया गया। यह भी कि अंचल अधिकारी ने राजस्व अभिलेखों और काश्तकारों के रजिस्टर की भी जांच की और पाया कि रजिस्टर–2 में दो स्थानों पर सुगन महतो का नाम दर्ज है। यह कुछ और नहीं बल्कि तत्कालीन हल्का कर्मचारी द्वारा की गई लिपिकीय गलती है, जो रजिस्टर–2 का रख–रखाव और संरक्षक था, जिसे रजिस्टर–2 से बंदोबस्तधारी सुगन महतो की जमाबंदी हटाकर सुधारा जा सकता है। यह भी कि सुगन महतो की जमाबंदी लंबे समय से चल रही है और इसे कानूनी और वैध दस्तावेज के आधार पर खोला गया है जिसे रोका या रद्द नहीं किया जा सकता है। साथ है अनुरोध किया गया है कि आवेदक के आवेदन स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, बरही द्वारा पारित आदेश को निरस्त की जाय।

उक्त प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विविध वाद संख्या 03/2014–15 द्वारा पारित आदेश में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है। खेवट संख्या 2/1 लगान पानेवाला सम्मिलात मालिक वगै0 सर्वे खतियान में दर्ज है। वर्तमान पंजी–2 के पृष्ट संख्या 14/IV में खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 लगान 50.00 रूपये की जमाबंदी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम कायम है। रसीद संख्या 102310 दिनांक 29.12.92 एवं अंतिम रसीद संख्या 820926 दिनांक 20.01.1995 से निर्गत है एवं पंजी–2 के पृष्ट संख्या 15, भौलूम–II में भी खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 की जमाबंदी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम कायम है। दोनों ही पंजी–II के उक्त पृष्टों में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है, जिसके कारण पुनः द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु फार्म–एम का प्रति व नक्श समर्पित नहीं किया गया एवं बतलाया गया कि उनके पास कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। साथ ही प्रतिवेदित है कि बकास्त खाते की भूमि नियमानुसार लगान निर्धारण के पश्चात ही जमाबंदी कायम होना चाहिए था एवं पंजी–2 में कायम जमाबंदी में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है, जो संदेहस्प्रद प्रतीत होता है। यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि मौजा खोडाहार थाना संख्या 56 के पंजी–2 के पृष्ट संख्या 14/IV एवं 15/II में

(14)

कायम जमाबंदी खाता संख्या 1, रकबा 81 डी0 जो सुगत महतो पिता अकल महतो के नाम से कायम है तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया तथा रद्द का प्रस्ताव हल्का कर्मचारी से मांग किया गया।

उक्त वाद में उभय पक्षों का कारणपृच्छा, राजस्व कागजात एवं अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त तथा उभय पक्षों के विद्ववान अधिवक्ताओं को सुनने एवं समीक्षोंपरान्त यह स्पष्ट होता है कि वादी अंचल अधिकारी, बरही के विविध वाद संख्या 03/14–15 में पारित आदेश के विरूद्ध वाद लाया है। अंचल अधिकारी, बरही द्वारा प्रश्नगत भूमि मौजा खोडाहार थाना नं0 56 अन्तर्गत खाता संख्या 1, प्लॉट संख्या 81, रकबा 0.83 ए0 भूमि बकास्त खाते की भूमि है, जो खेवट संख्या 2/1 लगान पाने वाला सम्मिलात मालिक वगै0 सर्वे खतियान में दर्ज है। वर्तमान पंजी–2 के पृष्ट संख्या 14/IV में खाता संख्या 1/2 रकबा 0.81 ए0 की जमाबंदी कायम होकर वर्ष 1992 से 1995 तक सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम से रसीद निर्गत है तथा पंजी–II के पृष्ट संख्या 15/II में भी सुगन महतो पिता अकल महतो के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है एवं वर्ष 1980–81 तक लगान रसीद निर्गत है तथा स्वंय अंचलाधिकारी द्वारा कायम की उक्त जमाबंदी को पुनः विविध वाद संख्या 03/14–15 के माध्यम से आदेश पारित करते हुए उपरोक्त भूमि के कायम जमाबंदी को संदिग्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया तथा हल्का कर्मचारी से कायम जमाबंदी को रद्द करने हेतु प्रस्ताव मांगा, जबकि उपरोक्त भूमि का कायम जमाबंदी को रोक/रद्द हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर सक्षम पदाधिकारी को भेजा जाना चाहिए था उसके पश्चात सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई की जानी आपेक्षित होती है, परन्तु अंचल अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाये बगैर बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पूर्व से कायम जमाबंदी को स्थगित किया जाना न्यायोचित जान नहीं पडता है। अतः ऐसी स्थिति में अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विविध वाद संख्या 03/14–15 को निरस्त किया जाता है। अभिलेख अनुपालनार्थ हेतु अंचल अधिकारी, बरही को भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।

12/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

12/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

ज्ञापांक ...847.../रा0, बरही, दिनांक ...12/09.../2024

प्रतिलिपिः–अंचल अधिकारी, बरही को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

12/9/24
भूमि सुधार उपसमार्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by Ajay Bhagat
Date: 2025.08.13 17:29:23 +05:30
Location: 192.168.1.36